

2016/17

पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरान में ग्राम तवरपूरा में स्थाई रास्ता जो देरासर भादरेश सडक से चुतराराम की ढाणी तक जा रहा है, जिसकी लम्बाई 01.18 कि.मी. है। इस रास्ते पर पक्की सडक बनी हुई है, जो संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाई गई है। उक्त रास्ता बारामासी है। लिहाजा राजस्व रेकॉर्ड में सम्बन्धित पक्षकारान के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अंकित खसरान की भूमि में पक्की सडक बनी हुई है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौजा तवरपूरा की निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है को सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.न	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई- चौड़ाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3	4	5	6
1	टेलीदेवी देवीदेवी मडवादेवी पि लखाराम कोम मंगवाल सा देह खातेदार	359/248	24.19	19X8	0.14
2	अमराराम पुत्र पुनाराम 1/2 जाति जाट सा देह खातेदार कोशलाराम पुत्र पुनाराम 1/2 जाति जाट निवासी देवागिरी की ढाणी तहसील बाडमेर	249	27.02	19X8	0.16
3	बाकाराम बन्ध देवाराम 1/3 विशनाराम जेदाराम सीनाराम पि लगराम मौलदेवी पत्नि लगराम कवराराम बन्ध रूपाराम लालदेवी पत्नि रूपाराम 1/3 दलाराम बन्ध चुतराराम 1/3 कोम जाट	256	108.08	19X8	0.14




उपरोक्त अभिलेखी खातेदार
उपरोक्त अभिलेखी खातेदार

	सा.देह खातेदार रहनबांकाराम का हिरसा 1/3 शाखा बीसीसीबी कु.उ.म. शाखा बाडमर				0.02
4	कानसिह बल्द सांगसिह कौम राजपुत सा.देह खातेदार रहन जेटीजीबी शाखा विशाला	256/328	2.05	19X8	
	योग:-				4.08

नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास
सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।




उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर